रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2030] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2015/भाद्र 30, 1937
No. 2030] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2015/BHADRA 30, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2015

विषय: 13 नवम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूची का.आ. खण्ड (अ) में शामिल उत्पादों के लिए "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकता) आदेश, 2012" के कार्यान्वयन से संबंधित ।

का.आ. 2578(अ).—जबकि, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खण्ड 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (च क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ.(अ) 2905 (अ) के द्वारा "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012" (जिसे इसके पश्चात आदेश कहा जाएगा) की अनुसूची में पंद्रह उत्पादों को शामिल किया था तथा 11 मई, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का आ. 1324(अ) के द्वारा चुनिन्दा मदों के लिए इस आदेश के लागू होने की तारीख को 13 अगस्त, 2015 तक बढ़ाया गया था और जबकि, उद्योग ने आदेश के अनुपालन के लिए अधिक समय मांगा है और जबकि इस आदेश के निर्वाध कार्यान्वयन के लिए पाणधारकों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की गई है, अत: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस आदेश के कार्यान्वयन की तारीख को निम्नलिखित चुनिन्दा उत्पादों के लिए 01 दिसम्बर, 2015 तक विस्तारित माना जाए :

आदेश की अनुसूची में क्रमांक (1)	उत्पाद (2)	भारतीय मानक संख्या (3)	भारतीय मानक का शीर्षक (4)
16.	आईटी उपकरणों के लिए पावर अडाप्टर	भा.मा. 13252 (भाग-I:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण-सुरक्षा- सामान्य आवश्यकताएं
17.	श्रब्य, वीडीयो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए पावर अडाप्टर	भा.मा 616:2010	श्रव्य, वीडीयो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सुरक्षा आवश्यकताएं,
18.	≤ 5 केवीए रेटिंग के यूपीएस/इन्वर्टर	भा.मा. 16242 (भाग-1): 2014	यूपीएस के लिए सामान्य सुरक्षा आवश्यकताएं।
19.	एलईडी माड्यूल्स के लिए डीसी या एसी आपूर्ति कंट्रोलगियर	भा.मा. 15885 (भाग 2/ धारा 13) : 2012	लैम्प कंट्रोलगियर की सुरक्षा भाग 2 एलईडी माड्यूल्स के लिए विशेष आवश्यकताएं धारा 13 डी.सी. या ए.सी आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलगियर
20.	पोर्टेबल अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए क्षारीय या अन्य गैर-अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त सील्ड माध्यमिक कोशिकाएं/बैटरियां	भा.मा.16046: 2012	क्षारीय अथवा अन्य गैर-अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त माध्यमिक कोशिकाएं/बैटरियां पोर्टेबल सील्ड माध्यमिक कोशिकाओं और पोर्टेबल अनुप्रयोगों में इस्तेमाल केलिए उनसे बनी बैटरियों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं
22.	निर्धारित सामन्य प्रयोजन एलईडी ल्यूमिनरीस	भा.मा.10322 (भाग 5/धारा 1): 2012	ल्यूमिनरीस भाग 5 विशेष आवश्यकताएं धारा 1 निर्धारित सामान्य प्रयोजन ल्यूमिनरीस

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

टिप्पणी: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधरण में दिनांक 3 अक्तूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357(अ) को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक 22 मार्च, 2013 को का.आ. 822(अ), 5 जुलाई, 2013 का का.आ. (अ), 5 जुलाई, 2013 को का.आ. 2034(अ), 13 नवम्बर 2014 को का.आ. 2905(अ) तथा 11 मई, 2015 को का.आ. 1324(अ) के द्वारा संसोधन किया गया था।

[फा. सं. 37(1)/2013-आईपीएचडब्यू (भाग-2)]

डॉ. अजय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATON TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2015

Subject : Concerning implementation of "Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" for products included in the schedule S.O. 2905(E) published in Gazette of India on 13 Nov. 2014.

S.O. 2578(E).—Whereas, in exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government had included fifteen products to the Schedule of "Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" (hereinafter called the Order) vide S.O. 2905(E) published in Gazette of India on 13 Nov. 2014, and vide S.O. 1324(E) published in Gazette of

India on 11 May 2015 the date of coming into effect of this Order for the select items was extended up to 13 Aug. 2015. And whereas, the industry has sought more time for compliance to the Order and whereas the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of this Order, it is hereby notified that the date of implementation of the Order stands extended to 01 December 2015 for the select products mentioned below **:**

S. No. in the Schedule of the Order (1)	**Product (2)**	**Indian Standard Number (3)**	**Title of Indian Standard (4)**
16	Power Adaptors for IT Equipments	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
17	Power Adaptors for Audio, Video & Similar Electronic Apparatus	IS 616 : 2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements
18	UPS / Invertors of rating ≤ 5KVA	IS 16242 (Part-1) : 2014	General and Safety Requirements for UPS
19	DC or AC Supplied Electronic Controlgear for LED Modules	IS 15885 (Part2/Sec 13):2012	Safety of Lamp Controlgear Part 2 Particular Requirements Section 13 D.C. or A.C Supplied Electronic Controlgear for LED Modules
20	Sealed Secondary Cells / Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes for use in portable applications	IS 16046 : 2012	Secondary Cells and Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes – Safety Requirements for Portable sealed secondary cells, and for Batteries made from them, for use in portable applications
22	Fixed General Purpose LED Luminaires	IS 10322 (Part 5 / Sec 1): 2012	Luminaires Part 5 Particular Requirements Sec 1 Fixed General Purpose Luminaires

This Notification will come into immediate effect.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. number 2357(E) on 3rd October 2012 and was subsequently amended *vide* S.O. 822(E) on 22nd March 2013, S.O. 2033(E) on 5th July 2013, S.O. 2034(E) on 5th July 2013, S.O. 2905(E) on 13 Nov. 2014 and S.O. 1324(E) on 11 May 2015.

[F. No. 37(1)/2013-IPHW (Pt. 2)]

Dr. AJAY KUMAR, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2015

विषय: 13 नवम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूची का.आ. 2905 खण्ड (अ) में शामिल उत्पादों के लिए "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकता) आदेश, 2012" के कार्यान्वयन से संबंधित ।

का. आ. 2579(अ).—जबकि, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63वां) के खण्ड 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड

(च क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 2905 (अ) के द्वारा "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012" (जिसे इसके पश्चात आदेश कहा जाएगा) की अनुसूची में पंद्रह उत्पादों को शामिल किया था तथा 11 मई, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का आ. 1324(अ) के द्वारा चुनिन्दा मदों के लिए इस आदेश के लागू होने की तारीख को 13 अगस्त, 2015 तक बढ़ाया गया था और जबकि, उद्योग ने आदेश के अनुपालन के लिए अधिक समय मांगा है और जबकि इस आदेश के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए पाणधारकों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की गई है, अत: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस आदेश के कार्यान्वयन की तारीख को निम्नलिखित चुनिन्दा उत्पादों के लिए 13 सितम्बर, 2015 तक विस्तारित माना जाए :

आदेश की अनुसूची में क्रमांक (1)	उत्पाद (2)	भारतीय मानक संख्या (3)	भारतीय मानक का शीर्षक (4)
21.	सामान्य लाईटिंग सेवाओं के लिए सेल्फ ब्लास्टेड एलईडी लैम्प	भा.मा.16102 (भाग-1) : 2012	सामान्य लाईटिंग सेवाओं के लिए सेल्फ ब्लास्टेड एलईडी लैम्प सुरक्षा आवश्यकताएं
23.	मोबाइल फोन	भा.मा.13252 (भाग-1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर - सुरक्षा - सामान्य आवश्यकताएं

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

टिप्पणी: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधरण में दिनांक 3 अक्तूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357 (अ) को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक-22 मार्च, 2013 को का.आ. 822 (अ), 5 जुलाई, 2013 को का.आ. 2033(अ), 5 जुलाई, 2013 को का. आ. 2034(अ), 13 नवम्बर 2014 को का. आ. 2905 (अ) तथा 11 मई, 2015 को का.आ. 1324 (अ) के द्वारा संसोधन किया गया था ।

[फा. सं. 37(1)/2013-आईपीएचडब्ल्यू (भाग-2)]
श्री अरुण सचदेवा, वरिष्ठ निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2015

SUBJECT: Concerning implementation of "Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" for products included in the schedule S.O. 2905(E) published in Gazette of India on 13 Nov. 2014.

S.O. 2579(E).—Whereas, in exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government had included fifteen products to the Schedule of "Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" (hereinafter called the Order) *vide* S.O. 2905(E) published in Gazette of India on 13 Nov. 2014, and *vide* S.O. 1324(E) published in Gazette of India on 11 May 2015 the date of coming into effect of this Order for the select items was extended upto 13 Aug. 2015. And whereas, the industry has sought more time for compliance to the Order and whereas the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of this Order, it is

hereby notified that the date of implementation of the Order stands extended to 13th September 2015 for the select products mentioned below **:**

S. No. in the Schedule of the Order **(1)**	**Product** **(2)**	**Indian Standard Number** **(3)**	**Title of Indian Standard** **(4)**
21	Self Ballasted LED Lamps for General Lighting Services	IS 16102 (Part-1) : 2012	Self Ballasted Lamps for General Lighting Services Part 1 –Safety Requirements
23.	Mobile Phones	IS 13252 (Part 1) :2010	Information Technology Equipment-Safety-General Requirements

This Notification will come into immediate effect.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. number 2357(E) on 3rd October 2012 and was subsequently amended *vide* S.O. 822(E) on 22nd March 2013, S.O. 2033(E) on 5th July 2013, S.O. 2034(E) on 5th July 2013, S.O. 2905(E) on 13 Nov. 2014 and S.O. 1324(E) on 11 May 2015.

[F. No. 37(1)/2013-IPHW (Pt. 2)]

ARUN SACHDEVA, Senior Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.